सं. 104] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2006/आषाढ़ 14, 1928
No. 104] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2006/ASADHA 14, 1928

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 30 जून, 2006

सं. टीएएमपी/63/2005–सीओपीटी. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 तथा 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, संलग्न आदेशानुसार, कोचिन पत्तन न्यास की वर्तमान दरों की वैधता का विस्तार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/63/2005–सीओपीटी

आदेश

(जून 2006 के 26 वें दिन पारित)

कोचिन पत्तन न्यास के दरमान को इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार इस प्राधिकरण द्वारा दिसंबर 2003 में संशोधित किया गया था और दिनांक 14 जनवरी, 2004 को भारत का राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। दरमान की वैधता को आदेश की अधिसूचना की तारीख से, दो साल के लिए निर्धारित किया गया था और तदनुसार, वह जनवरी 2006 में समीक्षा के लिए अपेक्षित हो गयी है।

2. सीओपीटी द्वारा, नवंबर 2005 में दाखिल सामान्य संशोधन का प्रस्ताव, परामर्श की प्रारंभिक स्थिति में था, इसलिए प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 4 जनवरी, 2006 द्वारा वर्तमान दरमान की वैधता को 30 जून, 2006 तक अथवा अंतिम आदेश की अधिसूचना, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक विस्तारित किया था।

3. चूँकि, सीओपीटी का दरमान, 30 जून, 2006 तक वैध है और उसके सामान्य संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए और कुछ अधिक समय लेगा, यह प्राधिकरण सीओपीटी के अनुरोध को स्वीकार करता है तथा सीओपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता को अगले छः माह की अवधि के लिए अथवा इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित होने वाले अंतिम दरों की कार्यान्वयन तिथि इनमें से जो भी पहले हो, तब तक विस्तारित करता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2006–असा.]